न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर , कैम्प कोर्ट रीवा, म0प्र0

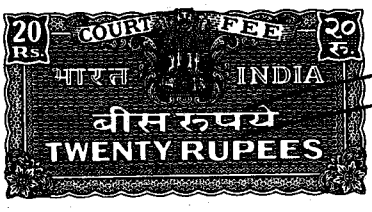

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

557
16.9.14

R. 3495-III/14

रमेश प्रसाद पटेल पिता स्व. चन्द्रभान पटेल साकिन चंदेह, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0 - -- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1- भैयालाल पिता रामधारी पटेल

2- रामचन्द्र पिता रामधारी पटेल

3- मुस. परगुआ पत्नी रामधारी पटेल

सभी निवासी ग्राम चंदेह, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0,

4- शासन म0प्र0 - -उत्तरवादीगण/गैरनिग. गण

श्री ... एड के द्वारा आज दिनांक 16.09.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3220 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध नक्शा तरमीम आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0, के प्र. क्र. आर.एस./430/0704/13826/2014 एवं आर.एस. 430/0704/13834/2014 दिनांक 20.5.14,

==================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ।

==================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक सर्किल हनुमना की कार्यवाही विधि प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के विरूध्द होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक.** R 3495–दो/14 जिला– रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>रमेशा प्रसाद/भैयालाल | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–10–2015 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री रविनन्दन सिंह उपस्थित प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये, एव नस्ती के अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।<br>आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अधार पर प्रकरण को ग्राहय करन का निवेदन किया गया तथा वही तर्क प्रस्तुत किए गये है जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है ।<br>प्रकरण के संलग्न नक्शा तरमीम किए गये नक्शों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि संहिता में राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने यानी नक्शे में विभाजन लाइन लाल स्याही से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अधिकारिता नहीं है । संहिता की धारा 178 के तहत यह अधिकारिता सिर्फ तहसीलदार को प्रदाय की गयी है जिसके तहत तहसीलदार सहखातों का विभाजन कर सकता है और विभाजन के अनुसार नक्शे में लाइन डालकर विभाजन करने के आदेश राजस्व निरीक्षक को दे सकता है, सम्पूर्ण प्रकरण में अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि तहसीलदार के किस आदेश से निगरानी मेमो में अंकित सर्वे कमाकों का विभाजन ~~किस आदेश से~~ किया गया है। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि जिस आदेश से विभाजन किया जावेगा उसी आदेश के कम में ~~विभाजन~~ रकवे के अंश के मान से नक्शे में भी विभाजन लाइन डाली जावेगी, जो इस प्रकरण में अवलोकित नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक का अधिकारिता विहीन आदेश किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।<br>उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर राजस्व निरीक्षक का प्रकरण कमांक–430/0704/13826/2014 एवं प्र0क0 430 | |

रमेश / भैयालाल

R. 3495 / II / 14 शेष

/ 0704 / 13834 / 2014 में पारित आदेश दिनांक–20.5.14 अवैधानिक एवं अधिकारिता रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर यह प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि वे राजस्व निरीक्षक द्वारा विवादित सर्वे कमांकों के नक्शे में किए गये तरमीम (विभाजन) के संबंध में यह सुनिश्चित करें, कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किस प्रकार नक्शे में विभाजन रेखा डाली गयी है । प्रकरण में तहसीलदार के विभाजन आदेश का कोई उल्लेख राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त नक्शे में डाली जाने वाली विभाजन रेखा के संबंध में आप संबंधित पक्षकरों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत मौके की स्थिति एवं कब्जे के अनुसार नक्शा विभाजन की कार्यवाही तीन माह के अंतर्गत पूर्ण करें एवं नवीन नक्शा विभाजन का आदेश जारी किए जाने तक राजस्व निरीक्षक का उक्त आदेश दिनांक–20.5.14 प्रभावहीन रहेगा । नवीन नक्शा विभाजन का आदेश जारी होने पर राजस्व निरीक्षक का उक्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा । उक्त निर्देशों के अनुसार प्रकरण का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया जावे । उक्त निदेर्शो के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता हे ।

**( आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**